



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 03, 2019/चैत्र 13, 1941

No. 114]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 03, 2019/CHAITRA 13, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

सं. 84 / 2015-2020

विषय: ईडीआई पत्तनों से जारी एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिपों की वास्तविक प्रति की प्रक्रिया को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन

फा. सं. 01/61/180/169/एएम18/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 3.08 में निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ते हैं।

***3.08**

(ग) तथापि, दिनांक 10.04.2019 को अथवा इसके बाद जारी सभी एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिपों (गैर ईडीआई अथवा एसईजेड पत्तनों में से एक पंजीकरण-पत्तन से जारी एमईआईएस/एसईआईएस को छोड़कर) के लिए ईडीआई पत्तनों से गैर ईडीआई और एसईजेड पत्तनों को टेलीग्राफिक रिलीज एडवॉइस (टीआरए) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सभी पत्तनों (एसईजेड और गैर ईडीआई पत्तनों को छोड़कर) से जारी स्क्रिपों के लिए टीआरए सुविधा दिनांक 10.04.2019 को अथवा इसके पश्चात जारी किए गए एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिपों के लिए हटा दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 3rd April, 2019

No. 84/2015-2020**Subject: Amendments in the Handbook of Procedure consequent to the introduction of a procedure thereby doing away with the physical copy of MEIS/SEIS scrips issued with EDI ports**

F. No. 01/61/180/169/AM18/PC3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby adds the following provisions in the para 3.08 in the Handbook of Procedures, 2015-20, as amended from time to time.

“3.08

(c) However, for all MEIS/SEIS scrips issued on or after 10.04.2019 (except for MEIS/SEIS issued with port of registration as one of the Non EDI or SEZ ports), Telegraphic Release Advice (TRA) facility from EDI ports to non EDI and SEZ ports would not be available. ”

Effect of this Public Notice: TRA facility for scrips issued from all ports (except SEZ and non EDI ports) has been withdrawn for MEIS/SEIS scrips issued on or after 10.04.2019.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.